रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 454] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 1980/आश्विन 5, 1902
No. 454] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 1980/ASVINA 5,1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1980

का. आ. 820(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 63-ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एच. एस. अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, यातायात वाणिज्यिक (विपणन व विक्रय) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) को रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के तत्कालीन संयुक्त निदेशक, यातायात वाणिज्यिक (विपणन व विक्रय), श्री. ए. एन. सक्सेना के स्थान पर अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग का सदस्य नियुक्त करती

है और भारत सरकार संचिवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 2097, दिनांक 15 जुलाई, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में मद (2) तथा तत्संबंधी प्रविष्टि के स्थान पर नीचे लिखी प्रविष्टि की जाय, अर्थात् :—

"(2) श्री एच. एस. अग्रवाल,
संयुक्त निदेशक, यातायात वाणिज्यिक,
(विपणन व विक्रय),
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) —
सदस्य ।"

[टी. आई. टी. (12)/80]

बी. आर. चव्हाण, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 1980

S.O. 870(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 63 A of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), the Central Government hereby appoints Shri H. S. Agrawal, Joint Director, Traffic Commercial (Marketing and Sales), Ministry of Railways (Railway Board), as a member of Inter-State Transport Commission vice Shri A. N. Saksena, the then Joint Director, Traffic Commercial (Marketing and Sales), Ministry of Railways (Railway Board), and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2097, dated the 15th July, 1978.

In the said notification, for item (2) and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"(2) Shri H. S. Agrawal,
Joint Director, Traffic Commercial
(Marketing and Sales),
Ministry of Railways (Railway Board) Member".

[TIT(12)/80]

B. R. CHAVAN, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980